अति मत्वपूर्ण

संख्या- 4/2023/90/आयोग/47-का-4-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 24 मई, 2023

विषय- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओ के समुचित प्रबन्धन के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षायें अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रकृति की होती हैं। उक्त परीक्षाओं की आयोजन प्रक्रिया पर प्रभावी प्रशासनिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है। शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया हेतु परीक्षा केन्द्र तथा केन्द्र व्यवस्थापक एवं अन्तरीक्षक की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतएव परीक्षा केन्द्रों, व्यवस्थापक एवं अन्तरीक्षक के चयन से संबंधित अधिकारियों को पूर्ण सजग एवं संवेदनशील होना आवश्यक है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में परिलक्षित होने वाली कठिनाईयों के निराकरण तथा परीक्षाओं के समुचित प्रबन्धन हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान करते हुये निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(i) जिलाधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पालीवाल कमेटी के मानकों के अनुरूप केन्द्रों का चयन स्वच्छ छवि वाले उपयुक्त विद्यालयों की सूची आयोग को उपलब्ध करायेंगें ।

(ii) आयोग द्वारा जिला प्रशासन एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में से अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर केन्द्रों का चयन कर चयनित परीक्षा केन्द्रों की सूची संबंधित जिलाधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) जिलाधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद में सह केन्द्र व्यवस्थापक एवंअन्तरीक्षकों का एक पैनल बनाया जायेगा।

(iv) जिलाधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक आयोग द्वारा चयनित प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर उप प्रधानाचार्य/वरिष्ठ एवं परीक्षा कार्य में अनुभवी शिक्षक को सह केन्द्र व्यवस्थापक तथा 50 प्रतिशत अन्तरीक्षक स्वंय के विद्यालय के तथा 50 प्रतिशत अन्तरीक्षक बाह्य परीक्षा केन्द्र के तैनात किये जायेंगे।

(v) अन्तरीक्षकों का एक आरक्षित सूची भी बनायी जायेगी जो आकस्मिकता के कारण किसी अन्तरीक्षक के उपलब्ध न होने पर तैनात किया जा सके ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। अत: इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in/

3. उक्त के अतिरिक्त मुझे यह कहने का भी निदेश हुआ है कि शुचिता पूर्ण परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि वरिष्ठ अधिकारियों को ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाए तथा उन्हें यह भी निर्देश दिया जाए कि वे संबंधित केन्द्रों पर निर्धारित समय पर पहुंचे एवं अपनी देखरेख में परीक्षा नकल विहीन, निर्विघ्न एवं शुचितापूर्वक सम्पन्न करायें तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात उत्तर पत्रकों की पैकिंग अपनी देखरेख में करायें तथा पैकेट पर केन्द्र पर्यवेक्षक के साथ-साथ अपने हस्ताक्षर करें तत्पश्चात शील्ड पैकेट को नियत पोस्ट ऑफिस तक केन्द्र पर्यवेक्षक के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें, इसके पश्चात ही उनकी ड्यूटी समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं पालीवाल कमेटी के मानकों के अनुरूप 11 बिन्दुओं पर फिजिकल वेरिफिकेशन कर A, B एवं C श्रेणी में वर्गीकृत करते हुये केन्द्रों का चयन कर स्वच्छ छवि वाले आधारभूत संरचना से युक्त A श्रेणी के शासकीय विद्यलयों के साथ-साथ शासकीय पालिटेक्निक/इंजीनियरिंग कालेज, डिग्री कालेज, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0सी0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्वच्छ छवि वाले उपयुक्त विद्यलयों के साथ केन्द्रीय विद्यालयों को भी परीक्षा केन्द्रों के रूप में चयनित कर विद्यालयों की सूची आयोग को समय से उपलब्ध करा दी जाए ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या- 4/2023/90(1)/आयोग/47-का-4-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/अनुश्रवण हेतु प्रेषित-

1- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज उ0 प्र0।
2- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष उ0 प्र0 ।
4- समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
6- सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उनके पत्र संख्या- 30/1/ई-2-2022-23 के संदर्भ में।
7- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। अत: इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।